विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम-गुरूवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।

....

प्रश्न	उत्तर
6 (क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम गुरूवार को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या-7 के क्रम में बतायेंगे कि गैस्ट्रो लीवर चिकित्सालय पैडलगंज, गोरखपुर में डा0 माधवी सरकारी को निजी चिकित्सालय में योगदान देने एवं मरीज के साथ किये गए दुर्व्यवहार की शिकायत की जॉच किस स्तर से करायी गयी है तथा जॉच में क्या निष्कर्ष सामने आए?	प्रश्नगत प्रकरण की प्रथम जांच उपमुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा की गयी तथा द्वितीय जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा 02 संयुक्त निदेशकों की टीम गठित कर करायी गयी। दोनों जांचों के संक्षिप्त निष्कर्ष निम्नवत् हैं:- निरीक्षण के दौरान अस्पताल पंजीकृत पाया गया, जिसकी वैधता 30.04.2025 तक है। निरीक्षण के समय योग्य चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित पाए गए। हास्पिटल मानक के अनुरूप पाया गया।
(ख) क्या जॉच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हां। (दोनों जांच आख्यायें संलग्न है)
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री

प्रेषक,

अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

सेवा में,

विशेष सचिव,
चिकित्सा अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

संख्याः अ0नि0 / जांच आख्या / 2024–25 / 316। दिनांक 15 फरवरी 2025

विशेष–जनपद गोरखपुर में डा0 अनुज सरकारी द्वारा संचालित निजी गैस्ट्रो लीवर हास्पिटल के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांचकर जांच आख्या प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महोदय के पत्र संख्या–5–6099 / 440 / 2024 दिनांक 11 नवम्बर 2024 के कम में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद द्वारा निजी गैस्ट्रो लीवर हास्पिटल के विरूद्ध कतिपय शिकायतें करते हुए अस्पताल को तत्काल शील किये जाने तथा डा0 माधवी सरकारी को निजी चिकित्सालय में योगदान दिये जाने के दृष्टिगत सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने की शिकायत की गयी है, जिसकी जांच दो संयुक्त निदेशकों की टीम गठित कर करायी गयी है। उक्त जांच आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर।

भवदीय,

अपर निदेशक
गोरखपुर

संख्याः अ0नि0 / जांच आख्या / 2024–25 / दिनांक उक्त / –

प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर निदेशक
गोरखपुर

कार्यालय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

संख्याः अ0नि0 / शिका0-जांच / 2024-25 / 2536 दिनांक 12, दिसम्बर 2024

1-डा0बी0एम0राव, संयुक्त निदेशक
2-डा0ए0के0गर्ग, संयुक्त निदेशक
कार्यालय अपर निदेशक, गोरखपुर।

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ के पत्र संख्या-5-6099 / 440 / 2024 दिनांक 11 नवम्बर 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद द्वारा आपके चिकित्सालय निजी गैस्ट्रो लीवर हास्पिटल के विरूद्ध कतिपय शिकायतें करते हुए अस्पताल को तत्काल शील किये जाने तथा डा0 माधवी सरकारी को निजी चिकित्सालय में योगदान दिये जाने के दृष्टिगत सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने की शिकायत की गयी है, जिसकी जांच किये जाने हेतु आपको जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण की जांचकर, जांच आख्या तत्काल/आज-ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक
गोरखपुर

संख्याः अ0नि0 / शिका0--जांच / 2024-25 / दिनांक उक्त / --

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

अपर निदेशक
गोरखपुर

संशोधित

जांच आख्या

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ के पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2024 के कम में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0सदस्य विधान परिषद द्वारा डा0 अनुज सरकारी, गैस्ट्रो लीवर हास्पिटल पैडलेगंज गोरखपुर के विरूद्ध किये गये शिकायत की स्थलीय जांच मेरे द्वारा दिनांक 16.12.2024 को किया गया। मौके पर डा0 अनुज सरकारी जो चिकित्सालय के संचालक है, उपस्थित मिले। अभिलेखों के परिक्षणोपरान्त पाया गया कि हास्पिटल नियमानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर के कार्यालय से पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण नम्बर **RMEE2447997** तथा वैधता दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक है। निरीक्षण के समय पंजीकृत चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित मिले। निरीक्षण के समय डा0 माधवी सरकारी हास्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए नही पायी गयी। हास्पिटल में कोई अल्ट्रासाउण्ड संचालित होना नही पाया गया। दिनांक 03.10.2024 एवं 04.10.2024 को श्री पंकज कुमार, सिपाही से हुयी घटना के संबंध में पूछने पर डा0 अनुज सरकारी द्वारा बताया गया कि मेरे पक्ष से एफ0आई0आर0 (0552/2024 थाना कैण्ट गोरखपुर) दर्ज है, जिसकी विवेचना पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। प्रकरण मा0न्यायालय में विचाराधीन है।

(डा0बी0एम0राव)
संयुक्त निदेशक
गोरखपुर

(डा0 अरूण गर्ग)
संयुक्त निदेशक
गोरखपुर

निरीक्षण आख्या

जनपद गोरखपुर में संचालित गैस्ट्रोलिवर हास्पिटल में दिनांक 03 एवं 04 अक्टूबर 2024 को हुई घटना के संबन्ध में अधिवक्ताओं द्वारा प्रेषित पत्र जो जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर को संबोधित है जो मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को पृष्ठांकित है तथा दिनांक 14.10.2024 को कार्यालय में प्राप्त हुआ है, के कम में आज दिनांक 16.10.2024 को डा0 अनुज सरकारी के गैस्ट्रोलिवर हास्पिटल, निकट छात्रसंघ चौराहा, गोरखपुर का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल पंजीकृत पाया गया जिसकी वैधता 30.04.2025 तक है। निरीक्षण के समय योग्य चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित पाए गए। हास्पिटल मानक के अनुरूप पाया गया।

(डा0 अश्वनी कुमार चौरसिया)
उप मुख्य चिकित्साधिकारी
गोरखपुर।